



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-06052025-262942  
CG-RJ-E-06052025-262942

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1990]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947

No. 1990]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 6 मई, 2025

का.आ. 2035(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20क के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में कोटा- नागदा सेक्षन के मध्य मन्दसौर जिले में समपार संख्या 75 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20ध की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा; प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखंड अधिकारी गरोठ, तालुका भानपुरा, जिला मन्दसौर को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रक्रियनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जाँच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम कि धारा 20व कि उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि योजना और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरिक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में कोटा- नागदा सेक्शन के मध्य मन्दसौर जिले में समपार संख्या 75 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रन की जानेवाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य : मध्य प्रदेश

जिला : मन्दसौर

गाँव :	औसारा			तालुका : भानपुरा
क्रमांक	सर्वे न.	भूमि का प्रकार	भूमि का उपयोग	भूमि अर्जन का विस्तार (हेक्टेयर में)
1	216	सरकारी	सड़क	0.6901
2	687	सरकारी	चारागाह	0.0075
3	584/2/2	निजी	ओद्योगिक	0.0200
4	685	निजी	कृषि	0.0250
5	686	सरकारी	सड़क	0.1471
6	584/2/1	निजी	ओद्योगिक	0.0145

[कम्प्यूटर न. 263689 फा. सं. ई.-पमरे-कोटा.जीएसयु 2(आरओवि)/2/2024 कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक-2 /पमरे/कोटा]

एम. आर. एस. चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/ जीएसयु -2

### MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

### NOTIFICATION

Kota, the 6th May, 2025

**S.O. 2035(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here in after referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Kota - Nagda section in Mandsaur District Construction of Road Over Bridge on LC No. 75 Project in District Mandsaur in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land :

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer Garoth, Taluka Bhanpura, District Mandsaur, in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within, for the Special Railway Project namely: kota - Nagda section in Mandsaur District Construction of Road Over Bridge on LC No. 75 in District Mandsaur in the State of Madhya Pradesh.

State : Rajasthan		District : Mandsur		
Village :	Ausara		Taluka :	Bhanpura
S.No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of the Land (in hectare)
1	216	Government	Road	0.6901
2	687	Government	Charagah	0.0075
3	584/2/2	Private	Industrial	0.0200
4	685	Private	Agriculture	0.0250
5	686	Government	Road	0.1471
6	584/2/1	Private	Industrial	0.0145

[Computer No: 263689 F. No WCR-KOTA-GSU 2(ROB)/2/2024-O/o CPM/GSU-II/WCR/KOTA]

M.R.S. CHOWDARY, Chief Project Manager/ GSU-2